ग्राम पंचायत तंगरोटी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017

भाग –1

1 **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एंव उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-5C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0, को सौंपे जाने के दृश्टिगत, ग्रम पंचायत तंगरोटी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागडा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थेः–

प्रधान :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री अनिल कुमार	1.4.2014 से 22.1.2016
2.	श्री अजय कुमार	23.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क0	नाम	अवधि
1	श्री संजीव कुमार	1.4.14 से 11.2.2016
2.	श्रीमति आशा	12.2.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :– ग्राम पंचायत तंगरोटी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण एंव निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि(₹लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व की शेश वसूली	0.40
2	8	अनुदान राशि का अवरोधन	16.45

3	9	क्रय की गई सामग्री का भंण्डारण नियमानुसार न करना	2.30
4	10	औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	0.68

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत तंगरोटी विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा के अवधि 1/4/2014 से 31/3/2017 के लेखाओं का प्रथम एंव वर्तमान अंकेक्षण श्री विरेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी तथा श्री मनमोहन शर्मा क0ले0प0, द्वारा दिनांक 26.8.17 से 30.8.17 तक ग्राम पंचायत तंगरोटी. के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 2/15, 12/15 व 9/16 एव व्यय के लिए माह 12/14, 10/15 व 3/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविश्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवदेन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवदेन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:–

ग्राम पंचायत, तंगरोटी विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि•प्र• शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं• 20–22 दिनांक 29/8/2017 द्वारा सचिव, पंचायत तंगरोटी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत तंगरोटी विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कागड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :

4.1 स्व स्त्रोत व अनुदान :– ग्राम पंचायत तंगरोटी के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है :

(क) स्व स्त्रोत

वर्श	**अथशेश**	**पावतियॉ**	**व्याज**	**कुलयोग**	**व्यय**	**अन्तशेश**
2014–15	67477.00	17653.00	5644.00	90774.00	41033.00	49741.00
2015–16	49741.00	31800.00	8487.00	90028.00	6787.00	83241.00
2016–17	83241.00	5214.00	9055.00	97510.00	58063.00	39447.00

(ख) अनुदान

वर्श	**अथशेश**	**पावतियॉ**	**व्याज**	**कुलयोग**	**व्यय**	**अन्तशेश**
2014–15	368460.00	1904654.00	14052.00	2287166.00	1679719.00	607447.00
2015–16	607447.00	1530021.00	20766.00	2158234.00	1412392.00	745842.00
2016–17	745842.00	4184376.00	39456.00	4969674.00	3324881.00	1644793.00

कुल योग (क+ख) ₹1684240.00

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा राशि का विवरण :–

क्रम सं0	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**जमा राशि**
1	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	3802	343373.00
2	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	9402	4055.00
3	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	3034	120596.00
4	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	3965	117621.00
5	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	1457.	78453.00
6	एच0डी0एफ0सी0 धर्मशाला	1735	996233.00
7	के0सी0सी0बी0 टंग नरवाना	7642	2904.00
8	के0सी0सी0बी0 टंग नरवाना	7675	20667.00
9	हस्तगत राशि		338.00
		कुल योग	**₹1684240.00**

5 वित्तीय नियमों की अनुपालना न करनाः–

5.1 रोकड़ बही का लेखाकंन नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत तंगरोटी की रोकड बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 से 3) की रोकड़ बही के लेखांकन में नियमों की पूर्ण अवहेलना की जा रही है। ग्राम पंचायत तंगरोटी के लेखों की जांच में रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेनदेन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना अपेक्षित था तथा मासान्त एवं वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2 व 3) के अनुसार भी पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है, परन्तु ग्राम पंचायत तंगरोटी की रोकड़ बहियों के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है, तथा न तो माह के अन्त में अन्तशेश निकाला गया है न ही प्रत्येक माह की अन्तशेश राशि का मिलान बैंक में जमा राशि से किया जा रहा है। अतः नियमों के विरूद्ध अपनाई गई इस कार्यवाही बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

5.2 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय के लिये तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। ग्राम पंचायत तंगरोटी द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया जा सका तथा आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप –11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं करवाया गया है जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.40 लाख का वसलूी हेतु शेष पाया जानाः–

पंचायत सचिव/सहायक ग्राम पंचायत तंगरोटी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹39700 की वसूली शेष थी।

गृहकरः–

क्र0सं0	वर्ष	अथशेष	वर्ष के दौरान मांग	योग	वर्ष के दौरान प्राप्त्यिॉ	अन्तशेष
1	2014–15	375.00	13100.00	13475.00	125.00	13350.00
2	2015–16	13350.00	13100.00	26450.00	––	26450.00
3	2016–17	26450.00	13250.00	39700.00	––	**39700.00**

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

8 अनुदान की ₹16.45 लाख का अवरोधनः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1644793 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा भिन्न–भिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत

द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशियों को प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये ।

9. क्रय किये गये ₹2.30 लाख के सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में नियमानुसार इन्द्राज न करने बारे :–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गये भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था परन्तु पंचायत के अवधि 1.4. 2014 से 31.3.2017 के दौरान **परिशिश्ट "ख"** पर वर्णित क्रय कये गये सीमेंट,व निर्माण सामग्री इत्यादि को क्रय के उपरान्त नही किया गया है, भण्डार रजिस्टर पर इनकी प्रविश्टि बिल द्वारा प्राप्त सामान के अनुसार न करके निर्माण कार्यों को जारी की गई सामग्री के आधार पर की गई है, अतः नियमों के विरुद्ध स्टॉक रजिस्टरों में प्रविश्टि करनें का कारण स्पश्ट किया जाये तथा भविश्य में पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ही स्टॉक रजिस्टरों का रख–रखाव सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत किया जाये।

10. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹0.68 लाख कें स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिश्ट ".क"** पर वर्णित विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा ₹67748 के निर्माण व अन्य सामग्री का क्रय निविदा सम्बन्धी औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित है। अतः औरचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही खरीद करना सुनिश्चित की जाये।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह के बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अविलम्ब उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

12. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाब किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इन रजिस्टरों का रख रखाव न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अविलम्ब इनका रख–रखाब नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

कम सं0	**अभिलेख/रजिस्टर का नाम**
1	गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
2	चल–अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3	निर्माण कार्य रजिस्टर
4	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
5	रसीदों का स्टॉक रजिस्टर
6	विकास निष्पादन रजिस्टर
7	पेशगी रजिस्टर

13 अनुदानों से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण अवधि के दौरान जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके परिणामस्वरूप अवधि के दौरान व्यय की गई अनुदानों की राशि की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी । अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय

समस्त अनुदानों से सम्बधित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को आगामी अंकेक्षण पर दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका :–**यह अलग से जारी नहीं की गई है ।

15 **निष्कर्ष :–**लेखों के रख–रखाब व नियमों की अनुपालना में सुधार की अत्याधिक आवश्यकता है । द्वारा

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)173 / 2018 खण्ड–1–1382–1385 दिनांक 22.02.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्रम पंचायत तंगरोटी, विकास खंण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881